राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर–302005
(दूरभाष 0141–2740735, फैक्स 0141–2742309, ई मेल :aao2.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांकः–एफ.4(ई)(1)(6)/डीपीसी/2022–23/अलेसे–II/422 दिनांक :– 05.07.2023

आदेश संख्या 27/2023–24

राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम, 1963 के नियम 29(2ए) के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी वर्ष 2010–11) की सिफारिशों के आधार पर श्री राजकुमार स्वामी, कनिष्ठ लेखाकार (सेवानिवृत) (मेरिट संख्या 768/1986) जन्म तिथी 08.08.1960 का चयन उक्त नियमों के अन्तर्गत लेखाकार (सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II) के रिक्त पद पर वरिष्ठता सह योग्यता के आधार पर किया गया था, किन्तु इनके विरूद्ध एसीबी प्रकरण 120/2006 विचाराधीन होने के कारण पदोन्नति नतीजे को बंद लिफाफा किए जाने की अनुशंषा की गई थी। प्रकरण विचाराधीन होने के कारण इनके पदोन्नति आदेश जारी नही किये गये।

श्री राजकुमार स्वामी, कनिष्ठ लेखाकार के विरूद्ध विचाराधीन एसीबी प्रकरण 120/2006 में माननीय सैशन न्यायाधीश, विशिष्ट न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अलवर के निर्णय दिनांक 19.05.2022 के द्वारा संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाने के कारण इनकी पदोन्नति लेखाकार (सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II) के पद पर ग्रेड पे 3600 (वर्तमान पे मैट्रिक्स के लेवल–11) में स्थानापन्न रूप से की जाती है।

श्री राजकुमार स्वामी, को लेखाकार के पद पर चयन वर्ष 2010–11 से इस आदेश की पालना में इस आदेश दिनांक तक पदोन्नति पद का वेतन निर्धारण का केवल काल्पनिक लाभ ही देय होगा।

(भूपेश माथुर)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः–एफ.4(ई)(1)(6)/डीपीसी/2022–23/अलेसे–II/422 दिनांक :– 05.07.2023
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचानार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
2. संबंधित कोषाधिकारी।
3. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष..
4. उप निदेशक (एसीपी) को बेवसाईट पर अपलोड एवं पीआईएस में इन्द्राज हेतु।
5. निजी सचिव, निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव।
6. श्री राजकुमार स्वामी, कनिष्ठ लेखाकार........................
7. डीपीसी शाखा/ए.पी.ए.आर शाखा/वरिष्ठता/गार्ड फाईल निजी पत्रावली।

(के.जी. गुप्ता)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–II/III)